न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
38/2018	18.09.2018	02.03.2021

1. हजारीलाल पुत्र लेखराम जाति हरिजन निवासी बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

—: प्रार्थी

बनाम

1. बसन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री चन्दर जाति हरिजन निवासी बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. रतनसिंह पुत्र श्री स्व0 श्री चन्दर जाति हरिजन निवासी बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. हनुमानसिंह पुत्र चन्दर जाति हरिजन निवासी बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. फूलीदेवी पुत्री चन्दर जाति हरिजन निवासी बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
5. चमेलीदेवी पुत्री चन्दर जाति हरिजन निवासी बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. भूतेरीदेवी पुत्री चन्दर जाति हरिजन निवासी बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. कमलेश देवी पुत्री चन्दर जाति हरिजन निवासी बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
8. दयाराम पुत्र रामू (मृतक—नाम हजफ) निवासी बिरोद तहसील मुण्डावर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: असल अप्रार्थीगण

10. सरोज पुत्री लेखराम जाति हरिजन निवासी बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
11. नर्बदा पुत्री लेखराम जाति हरिजन निवासी बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: तर0 अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय:—

दिनांक :— **02.03.2021**

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :—

1. यह है कि वाके ग्राम बिरोद तहसील मुण्डावर मे आराजी हाल खसरा नम्बर 955/540 रकबा 2.02 है0 मिन प्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण वा अप्रार्थीगण स0 1 लगा0 8 की सामलाती कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी स्थित है।
2. यह है कि उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 955/540 रकबा 2.02 है0 का मिन प्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने आपसी तौर पर बहामी बंटवारा किया हुआ है। जिस बहामी बंटवारा में तरफ पश्चिम का हिस्सा मिन प्रार्थी वो तर0 अप्रार्थीगण के हिस्से आया है तथा रोड के साथ लगता हुआ तरफ पूर्व को अप्रार्थीगण स0 01 ल0 08 के हिस्सा आया है तथा इसी प्रकार मौके पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है तथा मिन प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजीयात में वास्ते रिहायस व कृषि उपकरण रखने हेतु मकानात का निर्माण किया हुआ है।
3. यह है कि उक्त आराजी हाल ख0 न0 955/540 रकबा ... के तरफ पूर्व में गांव बिरोद से बाबा कुन्दनदास के मन्दिर ... प्रार्थी के हिस्से आयी आराजी मे आने जाने के ... रिकॉडेड रा... है तथा रास्ता नही होने के कारण मिन प्रार्थी को अपनी ... लाने ले जाने में परेशानी हो रही है।
4. यह है कि मिन प्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण का आराजी ख0 न0 ...5/540 रकबा 2.02 हैक0, मे 1/2 भाग है0, में तथा तर अप्रार्थीगण अपनी ससुराल में रहती है तथा 1/2 भाग पर मिन प्रार्थी ही काबिज काश्त है तथा मिन प्रार्थी उक्त आराजी के तरफ उत्तरी डोल के साथ अपनी आराजी में व आराजी में निर्मित रिहायसी मकान व कृषि उपकरण रखने हेतु निर्मित मकान में आवागमन करता है, लेकिन फसल के समय अप्रार्थीगण जबरन मिन प्रार्थी का रास्ता बन्द कर देते है, जिससे मिन प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजी में आने जाने में बॉधा पैदा हो जाती है। जिस पर हर बार इस बात को लेकर अप्रार्थीगण से झगडा फिसाद ... होता रहता है। इसलिए आम रास्ता से खसरा नम्बर 955/540 रकबा 2.02 है0 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उत्तरी डोल के साथ मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी तक रास्ता करीब 15 फुट चौडा नया रास्ता कायम किया जावे तथा मिन प्रार्थी निमयानुसार राशि अदा करने या अपनी आराजी में से आरजी देने को तैयार है।

5. यह है कि मिन प्रार्थी को अपनी आराजी व आराजी में निर्मित मकानात तक पहुचने वो वापिस आने में बडी रूकावट वो मुसीबत होती है, तथा अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी को आराजी में से आवागमन नही करने देते है तथा अब दिनांक 09.09.2018 को अप्रार्थीगण ने मिन प्रार्थी के रास्ता को बन्द कर दिया है, जिस पर मिन प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थीगण आमादा लडाई झगडा हो गये तथा ऐलानिया तौर धमकी दी है कि हम तुम्हे अपने हिस्से की आराजी में से आवगमन नही करने देगे। बस यही प्रार्थना पत्र हेतु बिनायदावी व बिनायमुखस्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

6. यह है कि मिन प्रार्थी के पास अपने हिस्से की आराजी में आवागमन का कोई रिर्कोडेड रास्ता न होने के कारण, उक्त आराजी में से नया रास्ता कायम किया जावे, ताकी प्रार्थी अपनी आराजी में निर्मित रिहायसी मकानात में सुविधाजनक तरीके से आवागमन कर सके तथा अपनी आराजी व आराजी में निर्मित रिहायसी मकानात का उपभोग उपभोग व काश्त कर सके। जिसके लिये मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि –

प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 955/540 रकबा 2.02 है0 वाके ग्राम बिरोद तहसील मुण्डावर में मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी व आराजी में निर्मित रिहायसी मकान में पहुचने के लिये, आम सडक बिरोद से बाबा कुन्दनदास मन्दिर से 15 फुट चौडा नया रास्ता तरफ उत्तरी डोल के साथ कायम कर, रास्ता घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

1. प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी सं0 02, 03 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल सावरिया उपस्थित हुए, जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। अप्रार्थीगण संख्या 01, 04 लगा0 08 लगा0 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु रखा गया।
2. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी, सम्वत् 2072–75, नक्शा ट्रेस पेश किये गये।
3. अप्रार्थीगण की ओर से नकल आर्डरसीट दिनांक 16.10.2018 से दिनांक 19.01.2021 तक व अनुवानी हजारीलाल बनाम बसन्ती बगैरा की प्रमाणित प्रति पेश की।
4. तहसीलदार, मुण्डावर से मौका रिपोर्ट ली गई।
5. बहस वकूलाय सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

आराजी खसरा नम्बर 955/540 वाके ग्राम बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि है। उक्त खसरा नम्बर में तकासमा मय हु0 ई0 दवामी का वाद न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात के बाबत अन्तर्गत धारा 251 क के चाहा गया रास्ता सहखातेदारी की आराजी होकर उक्त आराजी के बाबत ही पृथक से इस न्यायालय में विभाजन का वाद विचाराधीन होने की स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी के प्रार्थन पत्र उपरोक्त विवेचना के आधार आधार पर खारीज किये जाने योग्य पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 955/540 वाके ग्राम बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में से प्रार्थी के हिस्से की आराजी तक चाहे गये रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र को खारीज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:51 IST
Reason: SelfAttested

02/3/21
(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

02/3/21
(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर)